+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(हमारा संविधान और कानूनी सुधार)

(November 2024)

(Part III)

TOPICS TO BE COVERED

- श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव
- साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में बदलाव
- भारत में AI का भविष्य: चिंताओं और आपराधिक जांच पूर्वानुमान सक्षमता

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव:

परिचय:

- औद्योगिकीकरण ने अक्सर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक खाई पैदा कर दी है, जो उत्पादन के साधनों के असमान स्वामित्व से उपजी है। इस असमानता के परिणामस्वरूप औद्योगिक टकराव और विवाद हुए हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विवाद समाधान की एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता पैदा हुई।

- भारत में, इस उद्देश्य को श्रम कानूनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम और वर्ष 2020 का औद्योगिक संबंध संहिता शामिल है, जिसका उद्देश्य सुलह, मध्यस्थता और न्यायनिर्णयन जैसी प्रणालियों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना है।

- इस पृष्ठभूमि में भारतीय न्याय संहिता का हाल ही में अधिनियमित होना एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसके प्रावधान श्रम विवाद समाधान सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं।

विवाद समाधान: भारत में श्रम मुद्दे

- भारत में श्रम विवाद पारंपरिक रूप से विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों से प्रभावित रहे हैं, जैसे 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1946 का औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, जिन्हें कई श्रम से जुड़े विधानों को सरल बनाने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में औद्योगिक संबंध संहिता - 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया था।
- आईआरसी और आईडीए के तहत, श्रम विवाद समाधान को तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) श्रमिकों और नियोक्ताओं के विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय मंच (शिकायत निवारण समिति और कार्य समिति शामिल); (ख) निपटारा, जहां एक तटस्थ तीसरा पक्ष कामगार और नियोक्ता के बीच मध्यस्थता करता है और (ग) कोर्ट का न्याय निर्णयन।
- विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का यह तरीका अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिन्हें भारत जैसे मध्यम आय वाले देश में विकास के माहौल को

बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना गया है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का संकल्प संख्या 92, श्रमिक और नियोक्ता विवादों को हल करने और रोकने के लिए स्वैच्छिक सुलह और मध्यस्थता प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, इसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा भी समर्थन और बढ़ावा दिया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के साथ चुनौतियां:

- हालांकि औद्योगिक संबंध संहिता का उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, लेकिन संहिता के तहत श्रम विवादों को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणालियों में कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न समस्याएं हैं।
- संहिता केवल औपचारिक क्षेत्र में विवादों को हल करने का प्रावधान करती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इससे बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न घरेलू और कृषि श्रमिकों, जिनमें विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (गिग वर्कर्स) पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, को आईआरसी के तहत विवाद समाधान तंत्र तक पहुंचने से रोका गया है।

- आईआरसी ने भारत में गुणवत्तापूर्ण समझौताकर्ताओं की कमी के बावजूद न तो समझौता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया और न ही ऑनलाइन समझौता के प्रावधानों को शामिल किया।
- दूसरी ओर, बीएनएस श्रम विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इस अप्रोच से बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया है।

BNS के तहत श्रम विवाद समाधान:

- BNS ने श्रम विवाद समाधान के संबंध में दंडात्मक प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है जो औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं।
- नियोक्ताओं के लिए, बीएनएस एक अधिक कठोर कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है जो श्रम कानूनों के अनुपालन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रखता है जबकि अवैध हड़ताल या विरोध प्रदर्शन जैसे गैर-कानूनी श्रम कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- श्रम विवादों में एक विवादास्पद मुद्दा विरोध और हड़ताल से संबंधित है, जिसका उपयोग श्रमिकों ने औद्योगिक विवादों के मामलों में अपनी मांगों को पूरा करने के

लिए किया है। बीएनएस की धारा 194 सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक व्यवहार (दंगा) करने के लिए दंड निर्धारित करती है।

व्यावहारिक चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं:

- हालांकि बीएनएस श्रम विवाद समाधान के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, यह कार्यान्वयन की चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।
- उल्लेखनीय है कि श्रम अपराधों का अपराधीकरण पहले से ही तनावपूर्ण न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों को और बढ़ा सकता है। क्योंकि बीएनएस की व्याख्या और प्रवर्तन में न्यायपालिका आवश्यक होगी, क्योंकि धारा 194 जैसे प्रावधान विभिन्न श्रम मामलों में लागू होते हैं।
- ऐसे में श्रम विवादों में बीएनएस की भविष्य की प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर करेगी कि, अदालतें इसे कैसे लागू करती हैं और नियोक्ता तथा श्रमिक दोनों पुनर्परिभाषित कानूनी ढांचे के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं।

श्रम विवाद और BNS: भावी दशा-दिशा

- बीएनएस भारत के श्रम विवाद समाधान के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक समाधान के तरीकों से अधिक दंडात्मक ढांचे की ओर बदलाव को दर्शाता है।

- श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाकर और नियोक्ताओं पर कठोर दंड लगाकर, बीएनएस कुछ श्रम-संबंधी अपराधों को आपराधिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिसका उद्देश्य भारत के श्रम कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
- भारत में श्रम अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, ऐसे में बीएनएस के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। सख्त कानूनी प्रावधानों के कारण नियोक्ताओं को अधिक अनुपालन की आवश्यकता होती है और इससे वैध श्रमिक विरोध और सामूहिक सौदेबाज़ी के प्रयासों को दबाने का जोखिम होता है।
- यह बदलाव श्रम परिदृश्य के भीतर प्रतिकूल संबंधों को और बढ़ा सकता है, जो पहले के कानूनों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण विवाद-समाधान तंत्र को चुनौती देता है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में बदलाव:

परिचय:

- डिजिटल जगत के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलने-मिलने के साथ ही अपराध की एक नई किस्म का उदय हुआ है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली खुद को इसके अनुरूप ढालने के लिए विवश हुई है। पहले कुख्यात अपराधी राष्ट्र की कानून प्रवर्तन प्रणालियों की खामियों का फायदा उठाते थे। लेकिन उनके अपराध भौतिक सीमाओं के अंदर ही होते थे। अब हमारा मुकाबला परदे के पीछे से काम करते हुए दुनिया के किसी भी कोने से वैश्विक नेटवर्कों का दुरुपयोग करने वाले साइबर अपराधियों से है।

साइबर अपराध से निपटने हेतु नए आपराधिक कानून:

- भारत सरकार ने अपराध के पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी आधुनिक चुनौतियों के मद्देनजर तीन नए आपराधिक कानून बनाए हैं-

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS),

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

- इन कानूनों का उद्देश्य आधुनिक अपराध की जटिलता से निपटना और उन खामियों को दूर करना है जिनका फायदा डिजिटल अपराधी उठाते हैं। ये कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को इक्कीसवीं सदी में मजबूती से स्थापित करते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुहैया कराते हैं:
  - ➢ इन नई किस्मों के अपराधों से निपटने का आधार
  - ➢ साक्ष्य संग्रह और
  - ➢ डिजिटल दायरे में अभियोजन।

साइबर अपराध से निपटने में BNS की भूमिका:

- BNS में साइबर अपराध से निपटने के लिए पारंपरिक अपराधों की तुलना में ज्यादा सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत को स्वीकार किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने से अपराध को अंजाम दे सकते हैं। कानून प्रवर्तन में अकेले भौतिक अधिकार क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा जा

सकता। साइबर अपराधों की स्थिति में प्रभावित किसी एक राज्य में हो, बैंक का सर्वर दूसरे देश में और अपराधी भारत के अन्य प्रांत में हो सकते हैं।

- ऐसे में बीएनएस को इस तरह से तैयार किया गया है कि वह जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर ऐसी जटिलताओं से निपटने से में सक्षम हो। यह संहिता सुनिश्चित करती है कि कानून लागू कराने वालों को अपराधियों का भारत के अंदर अनेक अधिकार क्षेत्रों में पीछा करने का अधिकार हो।

साइबर अपराध से निपटने में BNSS की भूमिका:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में उन मामलों में अपराध फॉरेंसिक ऑडिट का प्रावधान किया गया है जिनमें सज़ा सात साल की कैद से ज्यादा हो। यह प्रावधान उन साइबर अपराधों पर खास तौर से लागू होता है जिनमें बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा चोरी या डिजिटल ध्वंस शामिल हो।
- डिजिटल दुनिया में साक्ष्य एकत्र करना भौतिक अपराध जितना सरल नहीं है। साइबर अपराध की जांच में बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करना होता है। इसमें कूटबद्ध संचार और अनेक प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगाना शामिल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- बीएनएसएस यह सुनिश्चित करती है कि कानून प्रवर्तन से संबंधित एजेंसियां इस तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों। यह फॉरेंसिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल जांच तकनीकों के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया कराती है।

साइबर अपराध से निपटने में BSA की भूमिका:

- बीएसए ने खास तौर से साइबर अपराध से जुड़े मामलों में साक्ष्यों के संग्रह, भंडारण और अदालत में प्रस्तुतीकरण के तौर-तरीकों को क्रांतिकारी स्वरूप दिया है।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल साक्ष्य अमूर्त होने की वजह से आसानी से मिटाए, बदले या छुपाए जा सकते हैं। ऐसे में बीएसए में डिजिटल साक्ष्य के संरक्षण के लिए कठोर प्रोटोकॉल का प्रावधान किया गया है ताकि समूची कानूनी प्रक्रिया के दौरान इसकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित किया जा सके।
- साइबर अपराध की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हैकिंग, पहचान की चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों के साक्ष्यों में ईमेल रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, लेनदेन का रिकॉर्ड या सोशल मीडिया पर गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

साइबर अपराध से निपटने में नए आपराधिक कानूनों का आगे की राह:

- बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।
- ये कानून साइबर अपराध की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो भारत को डिजिटल जगत के बढ़ते जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की स्थिति में ला सके।
- लेकिन इन कानूनों को पारित किया जाना एक शुरुआत भर है। ये सही मायनों में प्रभावी बन सकें इसके लिए जरूरी है कि इन्हें कानून प्रवर्तन की एक मजबूत अवसंरचना का साथ मिल सके।
- इसका मतलब है: डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में निवेश करना, साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना और अदालतों को जटिल डिजिटल साक्ष्यों को संभालने में सक्षम बनाना।
- इस अवसंरचना में डिजिटल दुनिया की वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए कानून प्रवर्तन प्रोटोकॉल को अपडेट करना भी शामिल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत में AI का भविष्य: चिंताओं और आपराधिक जांच पूर्वानुमान सक्षमता

परिचय:

- दुनिया ऐसे बदलाव का गवाह बन रही है जहां कानूनों को अब तेजी से बदलती तकनीक के साथ विकसित होना चाहिए। जैसे-जैसे हम प्रोफाइलिंग और आपराधिक विवेचन में एआई के निहितार्थों पर गहराई से विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तकनीकें बड़े अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती हैं।

- गोपनीयता, सुरक्षा और नवाचार के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एआई उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे आवश्यक हैं।

एआई और प्रोफाइलिंग:

- अधिकांश एआई सिस्टम के केंद्र में प्रोफाइलिंग की अवधारणा है, जो मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है।

- चाहे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या अन्य स्ट्रीमिंग सेवाएं, इसमें उपयोग होने वाली एआई प्रणाली, उपयोगकर्ता प्रोफाइल पर निर्भर करती है जिसे व्यवहार के अनुरूप लगातार अपडेट किया जा रहा है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है बल्कि गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को भी सामने लाता है।
- डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा अधिनियम (DPDPA) 2023 सीधे इन सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है। व्यवहार संबंधी डेटा को पर्सनल डेटा के रूप में मान्यता देकर, यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं।
- इसमें अपने डेटा को सही करने या मिटाने का अधिकार शामिल है, जो एआई सिस्टम को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता अपने डेटा को मिटाने का विकल्प चुनता है, तो यह सूचना की निरंतर धारा को बाधित करता है, जिस पर एआई मॉडल व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्भर करते हैं।
- वैश्विक स्तर पर, इसी तरह के नियम उभर रहे हैं। यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (GDPR) का कंपनियों के डेटा को संभालने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा है, खासकर जब प्रोफाइलिंग की बात आती है।

- विशेष रूप से, एआई सिस्टम को पर्सनल डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट सहमति प्राप्त करने की सख्त आवश्यकताओं के अनुकूल होना पड़ा है।

भविष्यसूचक पुलिसिंग और आपराधिक जांच में एआई की भूमिका:

- एआई के व्यावसायिक अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। अब कानून प्रवर्तन में भी इसकी भूमिका ज़ोर पकड़ रही है।
- एआई अब भविष्यसूचक पुलिसिंग में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह एक ऐसी विधि है जो डेटा विश्लेषण के आधार पर संभावित आपराधिक गतिविधि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है।
- भविष्यसूचक पुलिसिंग में एआई सिस्टम सामाजिक मीडिया गतिविधि, स्थान इतिहास और संचार रिकॉर्ड सहित विशाल डेटासेट का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि उन पैटर्न की पहचान की जा सके जो आपराधिक इरादे का संकेत दे सकते हैं।
- धोखाधड़ी का पता लगाने, साइबर अपराध की जांच और यहां तक कि आतंकवादी गतिविधि की निगरानी में सहायता करने के लिए एआई बहुत अधिक सक्षम है।

एआई की पूर्वानुमान की क्षमता:

- एआई की पूर्वानुमानित क्षमताएं नई नहीं हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को आवेगपूर्ण खरीदारी की ओर प्रेरित करने के लिए पूर्वानुमानित एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

- लेकिन क्या इसी पूर्वानुमान शक्ति का उपयोग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। पूर्वानुमानित पुलिसिंग का लक्ष्य बस यही करना है।
- मानव व्यवहार का विश्लेषण करके, एआई भविष्यवाणी कर सकता है कि अपराध कहां और कब घटित होने की संभावना है, जिससे कानून लागू करने वाले, घटनाओं के घटित होने से पहले उपाय कर सकते है।
- वाणिज्यिक से कानून प्रवर्तन अनुप्रयोगों में यह परिवर्तन एआई की सुधारवादी क्षमता को उजागर करता है। लेकिन इसके लिए कानून प्रवर्तन के उस तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव की भी आवश्यकता है जिसके अनुसार एजेंसियां संचालित होती हैं। क्योंकि पुलिसिंग में, एक झूठी भविष्यवाणी के व्यक्तियों और उनकी स्वतंत्रता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- जैसे-जैसे एआई तकनीक अधिक उन्नत होती जा रही है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण और उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता होगी।

चुनौतियां और आगे की राह:

- कानून प्रवर्तन और व्यक्ति सेवाओं में एआई के उपयोग से कई चुनौतियां सामने आती है, भारत को भविष्य में जिसका समाधान करना चाहिए। डीपीडीपी अधिनियम 2023 व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता

है, लेकिन यह इस बारे में भी सवाल उठाता है कि उपयोगकर्ता को गोपनीयता का सम्मान करते हुए व्यवसाय कैसे नवाचार कर सकते हैं।

- दूसरी ओर बीएनएस 2023 अधिक उन्नत एआई-आधारित पुलिसिंग के द्वार खोलता है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करने को जिम्मेदारी भी आती है कि ये प्रौद्योगिकियां व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन न करें।
- एआई का प्रभावी और नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए कानून प्रवर्तन को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पूर्वानुमान उपकरणों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूर्वाग्रहों को बढ़ावा न दें।
- भारत में एआई का भविष्य न केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं से बल्कि इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नैतिक ढांचों से भी आकार लेगा।
- जैसे-जैसे एआई दैनिक जीवन के ताने-बाने में खुद को बुनता जा रहा है, इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों को भी उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए।
- डीपीडीपी अधिनियम 2023 और बीएनएस 2023 एक कानूनी ढांचा बनाने की दिशा में साहसिक कदम है, जो व्यक्तियों के अधिकारों और गोपनीयता के साथ एआई की अविश्वसनीय क्षमता को संतुलित करता है।